

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी विभाग

संख्या: 164-XXIII/2018/12(सू०अ०)/2006

देहरादून: दिनांक: 06 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-103/XXXII(15)G/18-85(सू०अ०)/2012 दिनांक 23 जनवरी, 2018 के क्रम में आबकारी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-25/XXIII/2012/12(सू०अ०)/2006 दिनांक 15 फरवरी, 2012, संख्या-540/XXIII/2012/12(सू०अ०)/2006 दिनांक 25 जून, 2012 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-685/XXIII/2017/12(सू०अ०)/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को निरस्त करते हुए आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी को एतद्वारा निम्नानुसार नामित किया जाता है :-

विभाग का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	अनु सचिव।	उप सचिव।

(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 164(1)/XXIII/2018/12(सू०अ०)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर आबकारी आयुक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी।
9. उपरोक्त नामित अधिकारीगण।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव